मूल हिंदी

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 638
4 फरवरी, 2021 को उत्तर के लिए

आवास कर में छूट

638. श्री हाजी फजलुर रहमानः

क्या ***आवासन और शहरी कार्य मंत्री*** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की देश के नगर निगम क्षेत्रों के अंतर्गत चयनित स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में पिछड़ी और मलिन बस्तियों में रहने वाली आबादी के लिए हाउस-टैक्स में छूट प्रदान करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के सहारनपुर नगर निगम में विकसित वार्डों में मलिन बस्तियों और पिछड़े आवासीय इलाकों में स्मार्ट वार्ड के विकास के लिए स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) के अंतर्गत आबंटित निधि व्यय की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख) जी, नहीं। हाऊस टैक्स राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकाय का विषय है अतः केन्द्रीय सरकार के स्तर पर ऐसी किसी योजना की परिकल्पना नहीं की गई है।

(ग) और (घ) सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने सूचित किया है कि उनकी स्मार्ट सिटी योजना के तहत क्षेत्र आधारित विकास के लिए 21 वार्डों का चयन किया गया है। सहारनपुर स्मार्ट सिटी एबीडी के लिए चयनित क्षेत्र और चुनिंदा पैन सिटी परियोजनाओं के रेट्रोफिट विकास के लिए उपलब्ध निधियों का प्रयोग कर रही है जिससे सम्पूर्ण शहर में नागरिकों के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा।

****